

Section 1 of the Chin Hills Regulation, 1896.
The SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

In view of the above, through you, Sir, I request the Government of India to look into the matter and restore the rights of tribals over land and forests.

Thank you, Sir.

Threat of acquisition of land belonging to a Temple by DDA

श्री श्याम लाल (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से नई दिल्ली 16 के मुहल्ले रामतला कटवारिया सराय के अंतर्गत 250 वर्ष पुराने श्री गोरक्षा या गोरखनाथ मंदिर के परिसर व मंदिर के नाम दर्ज भूमि की रक्षा से संबंधित विषय की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि मुहल्ला रामतला कटवारिया सराय नई दिल्ली -16 में श्री गोरक्ष (गोरखनाथ) का एक 250 वर्ष पुराना मंदिर व तीर्थ स्थल है। इस मंदिर के नाम से 29 बीघा 3 विश्वा भूमि अंकित है। मंदिर के परिसर में 5-6 बीघे क्षेत्रफल का एक प्राकृतिक जल स्त्राव का तीर्थ स्थलीय तालाब है, जिसमें वर्ष के चैत्र मास तथा क्वार मास में क्रमशः दो बार भव्य मेले व स्नान हुआ करते हैं। यहां गुरु गोरक्षनाथ पंथ के महान संतों की समाधि, शिव, हनुमान, गणेश, पार्वती तथा अन्य देवी देवताओं के अलग-अलग मंदिरों के साथ कई धर्मशालाओं व विश्राम गृहों के साथ कई आश्रय गृहों का निर्माण है तथा लाखों पेड़-पौधे लगे हैं। मान्यवर, कतिपय ग्राम गृहों के साथ कई आश्रम गृहों का निर्माण है तथा लाखों पेड़-पौधे लगे हैं। मान्यवर, कतिपय ग्राम कटवारिया सराय, लोडोसराय, सहै दला जोत, मैदान गढ़ी, राजपुर, नेव सराय छत्तापुर, बेगमपुर, लाद सराय, अधचीनी, डियासराय, काले सराय बारह गांवों में 50-60 लाख जन समुदाय की इस पवित्र स्थली में पूरी आस्था व विश्वास है। इसीलिए इस क्षेत्र को पहले तपोवन स्थली कहा जाता रहा है और बाद में इसका नाम संजय वन कर दिया गया है। आश्चर्य का विषय है, कि नई दिल्ली विकास प्राधिकरण अनावश्यक रूप से इसके अधिग्रहण करने व कराने की धमकी से जनाक्रोष पैदा कर रहा है। अतः सदन के माध्यम से उक्त पवित्र तपोस्थली, तीर्थस्थली एवं आस्था भरे मंदिरों एवं इसकी भूमि तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अविलम्ब रक्षा करने की मांग की जाती है।

Construction of a New Airport at Surat.

श्रीमती सविता शारदा (गुजरात): धन्यवाद सभापति महोदय, मेरा आज का विषय सूरत में एयरपोर्ट बनाने के विषय में है। यद्यपि सरकार एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण और सुरक्षा संबंधी कोर्यों को बड़ी ही कुशलता एवं तीव्रता के साथ कर रही है किन्तु नये एयरपोर्टों की स्थापना व निर्माण के कार्य में शिथिलता देखने को मिल रही है। गुजरात के सूरत शहर में एयरपोर्ट स्थापित व निर्माण कार्य सर्वे होने के बाद भी आज तक नहीं हो पाया है। इन्दौर और भोपाल में बहुत कम दूरी होने के बावजूद दोनों स्थानों पर एयरपोर्ट बनाए गए हैं किन्तु सूरत में आज तक एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। सूरत एक औद्योगिक नगर है और यहां पर कपड़ा, हीरा और जरी उद्योग उत्तम किस्म के साथ बड़ी संख्या में हैं। इनके बने सामानों को खरीदने के लिए जहां एक ओर देश के कोने-कोने से व्यापारी आते हैं वहीं दूसरी ओर विदेशों से भी व्यापारी इनकी खरीद के लिए आते हैं। उद्योगों के अतिरिक्त यहां पर सरकारी व अर्धसरकारी कम्पनियों आदि के अनेक कार्यलय स्थित हैं। उदाहरण के तौर पर यहां रिलायन्स, कृभको, ओ.एन.जी.सी. और एन.टी.पी.सी. के